कार्यालय जेल अधीक्षक, जिला जेल रायसेन (म०प्र०)

क्रमांक / निर्वाह / 2026

रायसेन, दिनांक / /2026

प्रति

संचालक,
सूचना एवं प्रकाशन विभाग,
बाण गंगा रोड, भोपाल (म.प्र.)

विषयः— जिला जेल रायसेन पर वाहन किराये पर लगाने हेतु तृतीय वार्षिक निविदा विज्ञप्ति **वर्ष 2026—27** को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने बावत्।

संदर्भः— जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 83/वाहन शाखा/2025 भोपाल दिनांक 02.01.2025 ।

———000———

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुरोध है, कि वित्तीय **वर्ष 2026—27** हेतु जिला जेल रायसेन पर बीमार बंदियों को जिला चिकित्सालय रायसेन ले जाने व लाने हेतु एवं जेल पर पदस्थ अधिकारियों के उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध नहीं होने से वाहन किराये पर लगाने हेतु **निविदायें ई—टेण्डरिंग पद्धति (Online System)के माध्यम से संलग्न निविदा विज्ञप्ति अनुसार दिनांक 03.06.2026 को शाम 05:30 बजे तक आमंत्रित की गई है।**

निविदा सूचना की पांच प्रतियां संलग्न कर अनुरोध है कि इसका प्रकाशन प्रदेश स्तर के कम से कम 03 दैनिक समाचार पत्रों में एवं स्थानीय स्तर के समाचार पत्रों में आवश्यक रूप से दिनांक **03.06.2026** के दो सप्ताह पूर्व कराने का कष्ट करें।

संलग्न — निविदा सूचना 05 प्रतियॉ

जेल अधीक्षक
जिला जेल रायसेन

पृष्ठांकन क्रमांक /निर्वाह/2026
प्रतिलिपिः—

रायसेन, दिनांक / /2026

01. महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं म.प्र. भोपाल की ओर निविदा सूचना की दो प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।**संलग्न — निविदा सूचना दो प्रति में।**
02. जिलाध्यक्ष रायसेन की ओर निविदा सूचना की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03 अधीक्षक केन्द्रीय जेल भोपाल की ओर निविदा सूचना की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **संलग्न — निविदा सूचना एक प्रति में।**
04. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायसेन की ओर प्रेषित कर कर अनुरोध है, कि क्रय समिति की बैठक में सम्मिलित होने हेतु तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक 05.06.2026 एवं वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक 09.06.2026 को दोपहर **12:30 बजे** इस कार्यालय में उपस्थित होने की कृपा करें।
05. जेल अधीक्षक, जिला जेल विदिशा, सब जेल बेगमगंज, सब जेल बरेली, सब जेल गौहरगंज की ओर व्यापारियों से निविदा विज्ञप्ति के प्रचार—प्रसार हेतु प्रेषित कर लेख है कि स्थानीय प्रतिष्ठित एवं ट्रेवलर्स एजेंसियों को व्यापक प्रचार—प्रसार एवं उनके हस्ताक्षर पश्चात वापिस प्रेषित करने का कष्ट करें।
06.स्थानीय, प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत ट्रेवल्स एजेंसियों को व्यापक प्रचार—प्रसार टीप हेतु प्रेषित।
07.श्री प्रमोद सिंह, वरिष्ठ प्रहरी जिला जेल रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल जिला जेल रायसेन पर चस्पा हेतु।

जेल अधीक्षक
जिला जेल रायसेन

कार्यालय जेल अधीक्षक जिला जेल रायसेन म.प्र.

क्रमांक /निर्वाह/2026 **रायसेन,दिनांक / /2026**

वार्षिक ठेका
ई–टेण्डरिंग निविदा सूचना

वर्ष 2026–27 हेतु

(तृतीय आमंत्रण)

जिला जेल रायसेन पर बीमार बंदियों को जिला चिकित्सालय रायसेन ले जाने व लाने हेतु एवं जेल में पदस्थ अधिकारियों के उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध नहीं होने से किराये से वाहन लिये जाने हेतु निविदायें ई–टेण्डरिंग पद्धति (Online System) के माध्यम से निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी सेन्ट्रल वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

1.	प्री–बीड मिटिंग की तिथि	दिनांक 02.06.2026 प्रातः 12:00 बजे	जेल अधीक्षक कार्यालय जिला जेल रायसेन
2.	निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि – (निविदा फार्म का मूल्य 1000 रुपयें प्रतिफार्म – राशि लेखा शीर्ष 0056, जेलें–800 अन्य प्राप्तियों में आनलाईन जमा की जावेगी)	दिनांक 03.06.2026 समय शाम 5:30 बजे तक	वेबसाईट https:// www.mptenders.gov.in पर प्राप्त किये जा सकेगें।
3.	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 03.06.2026 समय शाम 5:30 बजे तक	वेबसाईट https:// www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन स्वीकार की जायेगी
4.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि –	दिनांक 05.06.2026 को समय दोपहर 12:30 बजे	जेल अधीक्षक जिला जेल रायसेन कार्यालय में
5.	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि –	दिनांक 09.06.2026 समय दोपहर 12:30 बजे	जेल अधीक्षक जिला जेल रायसेन कार्यालय में

निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेबसाईट पर (Online System) क्रेडिट कार्ड या ऑनलाईन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते है। निविदा एवं उससे संबंधित समस्त जानकरी ऊपर दर्शाई गई वेबसाईट पर देखे। निविदा के संबंध में किया जाना वाला कोई भी संशोधन संबंधित वेबसाईट पर किया जायेगा जिसका प्रकाशन पृथक से समाचार पत्रों में नही किया जायेगा।

जेल अधीक्षक
जिला जेल रायसेन

कार्यालय जेल अधीक्षक जिला जेल रायसेन

निविदा की शर्तें :-

1. निविदा का मूल्य एवं बिक्री :- निविदा फार्म का मूल्य 1000 रूपयें प्रतिफार्म -राशि लेखा शीर्ष 0056,जेलें-800 अन्य प्राप्तियां में ऑनलाईन जमा की जाकर, वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर प्राप्त किये जा सकेगें।

1.1 निविदा फार्म निविदा प्रकाशन दिनांक से दिनांक 03.06.2026 तक शाम 5:30 बजे तक ऑनलाईन वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर प्राप्त किये जा सकेगें।

1.2 निविदा प्रपत्र के साथ वॉछित दस्तावेजों की सूची :-
1.संस्था के पंजीयन के वैध प्रति।
2.वाहन के टैक्सी कोटा में पंजीयन की वैध प्रति।
3.वाहन के कांप्रिहेनसिव बीमा पत्र की छायाप्रति।
4वाहन के सेल टैक्स चुकता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
5.सर्विस टैक्स की 15 डिजिट वाला कोट नम्बर।

1.3 विभिन्न मॉडल के टैक्सी कोटा में पंजीकृत वाहनों के पंजीयन एवं संख्या की जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" में दी जावे।

1.4 अमानत राशि रूपयें 21000/- Online जमा करना होगी।

1.5 सफल निविदाकार को धरोहर राशि के रूप में राशि रूपयें 21,000 (इक्कीस हजार रूपयें) की एफ.डी.आर. कार्यालय में जमा करानी होगी, जो जेल अधीक्षक जिला जेल रायसेन के नाम देय होगी।

2. **धरोहर राशि –**

2.1 निविदा स्वीकृत की सूचना के 15 दिवस के अंदर अनुबंध नही किये जाने कीदशा में धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी।

3. **अनुबंध की अवधि :-**

3.1 अनुबंध की अवधि कायदिश के दिनांक से एक वर्ष की होगी।

3.2 एजेंसी द्वारा अनुबंध की शर्तो/ कर प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

3.3 महानिदेशक/जेल अधीक्षक को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण दर्शाये एक माह का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

4. **वाहन से संबंधित सामान्य शर्तें :-**

4.1 वाहन प्रदाय की दरे प्रपत्र-1 में उल्लेखित अनुसार मासिक/दैनिक आधार पर दी जावें,
जिसमें वाहन चालक का वेतन,वाहन का संधारण,मरम्मत एवं शासन के समस्त करों पर होने वाले समस्त व्यय शामिल होगें। किराये की दरे कार्यालय द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र में ही दी जावे।

4.2 वाहन वर्ष 01.01.2018 अथवा उसके पश्चात का मॉडल होना चाहिये वाहन टैक्सी कोटा में रजिस्टर्ड होना चाहिये। वाहन का कम्प्रीहेन्सीव इन्श्योरेन्स होना अनिवार्य

होगा। जो वाहन टैक्सी कोटा में रेजिस्टर्ड नही है, उनके लिये टैक्सी उपयोग की अनुमति होना आवश्यक है।

4.3 बंधक रखी वाहनों के संबंध में इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नही होगा एवं वाहन जब्त होने की दशा में निविदाकार तत्काल दूसरी वाहन उपलब्ध करायेगा।

4.4 निविदा को स्वीकृत या बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार महानिदेशक/ जेल अधीक्षक को होगा।

4.5 वाहन मय वाहन चालक के प्रभारी अधिकारी/संबंधित अधिकारी के नियंत्रण में सदैव उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य हैं।

4.6 वाहन किराये का भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात् निविदा अनुबंध के अनुसार निर्धारित दरों पर बिल के सत्यापन के पश्चात ही किया जावेगा।

4.7 वाहन की यात्रा वाहन को उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित की जावेगी, जिसके लिये वाहन में लॉग बुक रखना अनिवार्य होगा।

4.8 वाहन के लिये फ्यूल,डीजल/पिट्रोल/आयल की व्यवस्था निविदाकार को करनी होगी।

4.9 वाहन का माईलोमीटर हमेशा चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा।

4.10 वाहन की मरम्मत तथा शासकीय करों आदि का व्यय निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा एवं निविदादाता अथवा वाहन चालक द्वारा मरम्मत या अन्य कार्य के लिये वाहन ले जाए जाने पर की गई अशासकीय यात्रा का भुगतान विभाग द्वारा नही किया जाएगा।

4.11 वाहन के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिये महानिदेशक /जेल अधीक्षक कार्यालय जिम्मेदार नही रहेगा, इसके लिये निविदाकार स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि प्रदाय किया गया वाहन संस्था मालिक के नाम से पंजीकृत नही है तो संस्था एवं वाहन मालिक के मध्य संपादित करारनामा प्रस्तुत करना होगा।

4.12 प्रवास के दौरान मार्ग में वाहन संबंधित कोई असुविधा होने पर निविदाकार अपनी व्यवस्था एवं स्वयं के व्यय से अधिकारी को यथा स्थान पर पहुंचाने एवं लाने हेतु उत्तरदायी होगा।

4.13 वाहन चालक के आचरण/व्यवहार अच्छा होना चाहिये। वाहन चालक के पास पॉच वर्ष का वैध लाईसेंस होना चाहिये तथा निविदाकार को वाहन चालक के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर वाहन चालक को बदलकर देना होगा।

4.14 निविदाकार द्वारा वाहन चालक एजेंसी का मोनो लगा हुआ ओवरकोट प्रदाय करना होगा, जिसे वाहन चालक द्वारा धारण करना अनिवार्य है।

4.15 वाहन के उपयोग के दौरान दुर्घटना से होने वाली आर्थिक क्षति अथवा जनहानी के लिये किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति , महानिदेशक/ जेल अधीक्षक कार्यालय द्वारा नही की जावेगी। वाहन चोरी, अग्नि दुर्घटना तथा आंदोलन से होने वाली क्षति के लिये भी निविदाकार ही जिम्मेदार होगा।

4.16 वाहन खराब होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था निविदाकार को करना होगी। अपरिहार्य परिस्थिति में अन्य वाहन का उपयोग करने के लिये प्रभारी अधिकारी स्वतंत्र रहेगें, जिस पर आने वाले व्यय की क्षतिपूर्ति निविदाकार द्वारा की जावेगी।

4.17 स्वीकृत दरें एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी तथा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध करना होगा।

4.18 म्यूनिसिपल टैक्स, वाहन काम्प्रेहेन्सिव बीमा एवं अन्य टोल टैक्स सर्विस टैक्स इत्यादि जो शासन, स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभारित किए जायेगें वह निविदाकार को व्यय करना होगा।

4.19 वाहन की मरम्मत/रख-रखाव अथवा अन्य किसी कार्य हेतु उपयोग किए जाने की स्थिति में निविदाकार द्वारा उसी स्तर का अन्य वाहन उपलब्ध करना होगा।

4.20 मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिए जाने हेतु मुख्यालय पर अधिकतम 800 किलोमिटर की सीमा को आधार माना जायेगा।

4.21 वाहन का **Ex Showroom** मूल्य अधिकतम 7 लाख एवं उससे कम होना चाहिए।

5– कर, शास्ती एवं पक्षकारों के मध्य विवाद :–

5.1 नियमों/शर्तो के उल्लंघन के फलस्वरूप वसूल की गई राशि ठेकेदार को वापस नही की जावेगी।

5.2 इस अनुबंध के पक्षकारों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में महानिदेशक/ जेल अधीक्षक कार्यालय का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

5.3 प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूपसे कारागार अधिनियम, 1894 की धारा–10 एवं जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक 05/वारंट–3/दिनांक 28.01.2015 के प्रावधान के अनुसार क्रमशः प्रपत्र (अ) एवं (ब) में 50 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टैम्प पर मूल प्रति में नोटरी द्वारा प्रमाणित एक शपथ-पत्र भी आवश्यक रूप से दिया जाएगां। शपथ-पत्र के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी। शपथ पत्र का प्रारूप ऑनलाईन (www.mptenders.gov.in) देखा जा सकता है।

5.4 किराये से लिये जाने वाले वाहन मध्यप्रदेश शासन वित्त–विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11-16/2012/नियम/चार भोपाल,दिनांक 06.10.2012 एवं एफ-11-02/2025/नियम/चार भोपाल,दिनांक 02 मई 2025 के द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्वांत के अनुसार लिया जायेगा।

जेल अधीक्षक
जिला जेल रायसेन

शपथ पत्र–अ

(कारागार अधिनियम 1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

मैं ....जो जिला जेल रायसेन के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म...की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म.......................................के मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश में जेल विभाग में किसी भी स्थान पर किसी भी तरह के पद पर नियोजित नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

शपथ पत्र–ब

(जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल के परिपत्र क्रमांक 05/वारंअ–3 ब.मृ./2015/भोपाल दिनांक 28.01.2015)

मैं ....जो जिला जेल रायसेन के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म......................................की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म..के मालिक/भागीदार किसी भी आपराधिक प्रकरण में जमानत पर रिहा नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

उपरोक्त शपथ पत्र प्रपत्र अ,ब में पृथक–पृथक रू. २००–२०० के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी टिकिट लगवाकर प्रमाणित करवाकर शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगें एवं दोनो तरफ से स्केन करवाकर शपथ पत्र संलग्न करने होगें। रू. २०० से कम का शपथ पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।

कार्यालय जेल अधीक्षक जिला जेल रायसेन मध्यप्रदेश

निविदा सूचना

फार्म–(अ) नियम 6 देखिये

वार्षिक ठेका

वर्ष 2026–27

वाहन किराये पर लगाने हेतु

प्रपत्र –अ

S.N.	Description of Work/item's	No. of QTY	Units	Estimated Rate Per Month
1-	All AC Vehicles whose EX SHOWROOM PRICE is 7 lack of less (800 K.M. YA USSE kam chalne KA FIX Rate including all taxes)			
2-	All AC Vehicles whose EX SHOWROOM PRICE is 7 lack of less (800 K.M. se Jyada chalne Par Rate Per K.M. including all taxes)			

जेल अधीक्षक
जिला जेल रायसेन

Signature Not Verified
Digitally signed by PAWAN KUMAR SHARMA
Date: 2026.05.18 21:51:47 IST
Location: Madhya Pradesh-MP